आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/1001 दिनांक– 10/1/2022

समस्त प्राचार्य
राजकीय/निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय– कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्रों के जाँच कार्य में लापरवाही बरतने के क्रम में।

संदर्भ– विभाग का पत्रांक– 885 दिनांक 14.12.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांक–885 दिनांक–14.12.2021 के द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में उक्त योजना के तहत छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदनों को नियमानुसार महाविद्यालय/जिला नोडल महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन जाँच कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित विभागीय मुख्यालय (HQ) स्तर पर फारवर्ड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

वर्ष 2020–21 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में ऑनलाईन आवेदन पत्र आपके पोर्टल पर आदिनांक तक भी लम्बित है। महाविद्यालय से जिला नोडल एवं जिला–नोडल से विभागीय मुख्यालय ऑनलाईन आवेदन भेजने की अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक 22.12.2021 एवं 27.12.2021 थी। आपको बार–बार दूरभाष पर सूचित किये जाने के बावजूद भी आवेदन पत्र आयुक्तालय को फारवर्ड नहीं किये है।

इससे प्रतीत होता है कि कतिपय महाविद्यालय/जिला नोडल महाविद्यालय द्वारा जान बूझकर आदेशों/निर्देशों की अवहेलना की जाती है तथा राज कार्य में कोई रूचि नहीं लेते है, जिससें राज्य सरकार द्वारा जारी लाभप्रद योजनाओं में देरी होती है।

सम्बन्धित महाविद्यालय/जिला नोडल प्राचार्य अपने छात्रवृत्ति पोर्टल पर लम्बित ऑनलइन आवेदन पत्रों के प्रकरणों का अपने स्तर पर अवलोकन करते हुए अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें। समय पर संतोषजनक प्रत्युत्तर के अभाव में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अति. आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/1002 दिनांक– 10/1/2022

प्रतिलिपि– प्रभारी वेबसाइट को अपलोड किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

D:\SCHOLARSHIP\Miscellenious\f (23) 80.docx